

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 57/2019 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाड़ा बनाम 1. रफीक मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद मुसलमान निवासी टोकरवाड तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता — विपक्षी की ओर से

निर्णय


दिनांक 19.09.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम टोकरवाड की आ.न. 2837/579 कुल रकबा 5.00 बीघा भूमि किस्म पेटा तालाब को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। उक्त आवंटित भूमि ग्राम टोकरवाड के गोविन्दसागर तालाब के डूब क्षेत्र में आती हैं। तालाब के डूब क्षेत्र में आने से उक्त प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण से प्रभावित हैं। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी अधिवक्ता की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम टोकरवाड की आ.न. 2837/579 कुल रकबा 5.00 बीघा भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। उक्त आवंटित भूमि ग्राम टोकरवाड के गोविन्दसागर तालाब के डूब क्षेत्र में आती हैं। तालाब के डूब क्षेत्र में आने से उक्त प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण से प्रभावित हैं। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त आराजियात वक्त आवंटन पेटा तालाब के डूब क्षेत्र में नहीं आती थी। इसलिए इस प्रकरण में उक्त आराजियात पर अब्दुल रहमान प्रकरण के नियम लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में गोविन्द सागर डूब क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल नहीं अंकित किया गया


अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

एवं न ही कौनसी आराजियात पर गोविन्द सागर तालाब अवस्थित हैं? इसका हवाला दिया गया। पटवार हल्का द्वारा बनाया गया मौका रिपोर्ट में विपक्षीगणों को सूचित नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवंटन वर्ष 1983 को होना बताया गया। प्रार्थी द्वारा आवंटन के कई वर्ष बाद उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं, जो मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य हैं। नियम 18 आवंटन नियमावली 1970 के तहत 3 वर्ष की अवधि के बाद आवंटी स्वतः ही भूमि का खातेदार हो जाता हैं। आवंटन को निरस्त करने का कोई तकनीकी उचित कारण नहीं हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण का खारिज किया जाये।


प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम टोकरवाड के आ.न. 2837/579 कुल रकबा 5.00 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काशत नहीं हैं। उक्त आराजियात वक्त आवंटन गोविन्दसागर तालाब के डूब क्षेत्र में आती हैं एवं जमाबंदी संवत् 2036-2040 के अनुसार भी उक्त आराजियात की वक्त आवंटन किस्म पेटा होकर राजस्व रिकार्ड में अंकित हैं। अतः आवंटी को उक्त आवंटित आराजी मिस रिप्रजेन्टेशन एवं मिथ्या उपदेशन के आधार पर आवंटन किया जाना प्रतीत होता हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना भी नहीं की गयी। अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई पुष्ट साक्ष्य भी पेश नहीं किया हैं। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव-



आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम टोकरवाड के आराजी नं. 2837/579 कुल रकबा 5.00 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम टोकरवाड की आ.न. 2837/579 कुल रकबा 5.00 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हुरडा को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.9.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर
भिलवाड़ा